IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन-(022) 66552779 / 66553336, फैक्स-(022) 22182352,
ईमेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट : www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (यो),

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र के जरिए एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है.

विशेष कारोबार

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन (नों) के साथ या उसके (उनके) बिना एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, सेबी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी किए गए संबद्ध नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम और अन्य लागू विधियों, दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्स्चेंजों और/ अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, इस संबंध में जो अपेक्षित हो, के अनुमोदन के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन शेयरधारकों द्वारा 02 सितंबर 2014 के मतपत्र के जरिए पारित पूर्ववर्ती विशेष संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए बैंक के निदेशक मंडल को (i) निजी तौर पर आबंटन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, बासेल III अनुपालनयुक्त टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को शामिल करते हुए ₹ 15000 करोड़ की बढ़ी हुई रुपया उधार सीमा तक एक या अधिक भाग में संग्रहण और (ii) 2 सितंबर 2014 को पारित विशेष संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान या इस संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान, जो भी बाद में हो, बकाया के समतुल्य यूएसडी 7.5 बिलियन के विदेशी मुद्रा संसाधनों के निरंतर संग्रहण के लिए बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838
Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.
Phone-(022) 66552779 / 66553336, Fax-(022) 22182352,
e-mail : idbiequity@idbi.co.in, website : www.idbi.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the resolution appended below is proposed to be passed as Special Resolution by way of Postal Ballot:-

Special Business

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, SEBI guidelines, relevant Rules issued under the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, in partial modification of the earlier Special Resolution passed by the Shareholders through Postal Ballot on September 02, 2014, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for (i) mobilization in one or more tranches upto the enhanced Rupee Borrowing Limit of ₹15000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue and (ii) continuing mobilization of Foreign Currency Resources upto USD 7.5 billion equivalent outstanding as per the Special Resolution passed on September 02, 2014, during the FY 2014-15 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
दिनांकः 29 सितंबर 2014

टिप्पणियां:

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम शुक्रवार, 10 अक्तूबर 2014 को सदस्यों के रजिस्टर / राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य गुरुवार, 30 अक्तूबर 2014 को पूरा हो जाएगा.
- जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक द्वारा सूचना भेजी जा रही है.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और सूचीबद्धता करार के खंड 35 बी के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मद को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Chairman & Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution".

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

Registered Office :
IDBI Bank Limited,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai – 400 005.
Dated: September 29, 2014

NOTES:

- An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Friday,October 10, 2014. The dispatch of notice alongwith Postal Ballot Form will be completed on Thursday, October 30,2014.
- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post along with the Postal ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and Clause 35 B of the Listing Agreement, the Item of Business set out in the Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot.

- बैंक ने सदस्यों, जो अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ एक करार किया है.
- बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री अपर्णा गाडगिल, असोसिएट को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- **सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई-वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग के जरिए किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएगा.**
- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 5 दिसंबर 2014 को अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे एजेंसियों अर्थात् कार्वी की वेबसाइट www.karisma.karvy.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com या एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081 - फोन नं. (040- 44655141) अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 - फोन नं. (022- 66552779/3336/3062) को लिखकर डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

- The Bank has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting to enable the Members who wish to cast their votes electronically.
- The Bank has appointed Shri S.N. Ananthasubramanian or in his absence Ms. Aparna Gadgil, Associate of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.
- **The Members can opt only one mode of voting, i.e., either by physical Postal Ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.**
- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 2 p.m. on November 29, 2014. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman on December 05, 2014 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of agencies, viz. Karvy at www.karisma.karvy.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form, from the Bank's website www.idbi.com or from NSDL's website www.evoting.nsdl.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad- 500 081 – (Ph. No. 040- 44655141) or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (Ph. No. 022- 66552779 /3336 /3062).

• ई-वोटिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई- वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. 'Login' पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. 'e-Voting'- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सेलेक्ट करें.

viii. **'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि शुक्रवार, 31 अक्तूबर 2014 को पूर्वाह्न 10 बजे शुरू होगी और शनिवार, 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2 बजे समाप्त होगी.**

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, 'Vote Cast Successfully' संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार

• The process of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/ characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of 'eVoting' opens. Click on "e-Voting" -Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. **Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from Friday, October 31, 2014 at 10 a.m. and ends on Saturday, November 29, 2014 at 2 p.m.**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc., together with attested specimen signature

पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.

i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें

iii. अपनी यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें.

iv. 'Login' पर क्लिक करें.

v. 'e-Voting' का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting-Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vi. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सेलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, संकल्प पर वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2 बजे, जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं).

vii. **'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान अवधि शुक्रवार, 31 अक्तूबर 2014 को पूर्वाह्न 10 बजे शुरू होगी और शनिवार, 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2 बजे समाप्त होगी.**

viii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर '**Confirm**' पर क्लिक करें.

ix. यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति **evoting@nsdl.co.in** को भेजें.

of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has already been registered for e-voting services of NSDL

i. Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com

ii. Click on shareholder- Login

iii. Enter your User ID and existing password

iv. Click Login

v. Home page of "e-Voting" appears. Click on e-Voting - Active Voting Cycles

vi. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. (Kindly note that vote once casted cannot be modified. For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period i.e. up to close of November 29, 2014 at 2 p.m., whichever is earlier).

vii. **Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from Friday, October 31, 2014 at 10 a.m. and ends on Saturday, November 29, 2014 at 2 p.m.**

viii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also **"Confirm"** when prompted.

ix. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

x. Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in**

कृपया नोट करें किः

- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप सदस्य हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- सदस्य फोलियो के प्रयोक्ता प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं जिनका भविष्य में कोई संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 - फोन नं. (040- 44655141) या आईडीबीआई बैंक लि., इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 फोन नं. (022- 66552779 / 3336 / 3062) या एनएसडीएल (टोल फ्री नंबर 1800222990) से संपर्क करें.

Please note that:

- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go through 'Forgot Password' option available on the site to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the Member.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members can also update their mobile number and email id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communications.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad- 500 081 – (Ph. No. 040- 44655141) or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (Ph. No. 022- 66552779 /3336 /3062) or NSDL (Toll free No. 1800222990).

दिनांक 29 सितंबर 2014 की डाक मतपत्र सूचना में दी गई विशेष कारोबार मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

1. बोर्ड ने 30 अप्रैल 2014 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयरों के आबंटन/ सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹ 2,000 करोड़ के सीनियर बॉण्ड / बासेल III अनुपालनयुक्त टियर II बॉण्ड और ₹ 2,000 करोड़ के बासेल III अनुपालनयुक्त अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को मिलाकर ₹ 4,000 करोड़ की तदर्थ सीमा अनुमोदित की है तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ₹ 4,000 करोड़ की सकल बॉण्ड निर्गम सीमा के भीतर परस्पर संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए प्राधिकृत किया है.

2. बोर्ड ने 30 अक्तूबर 2013 को आयोजित अपनी बैठक में द्विपक्षीय ऋण/ सम्मिलित ऋण/ सामूहिक ऋण/ ऋण व्यवस्थाओं (ईसीए समर्थित व्यवस्था सहित)/ बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण सुविधाओं (ऋण/बॉण्ड के माध्यम से बहुपक्षीय संस्थाओं से उनकी पूर्ण/आंशिक गारंटी के साथ प्रत्यक्ष उधार सहित)/ बॉण्ड निर्गमों (सीनियर बॉण्ड, लोअर टियर II बॉण्ड, अपर टियर II बॉण्ड एवं नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत जैसे हायब्रिड लिखत तथा बासेल III के अंतर्गत पूंजी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र अन्य बॉण्ड)/ एफआरएन निर्गम/ रिवर्स इनक्वारी और अन्य लिखतों के माध्यम से बकाया मूलधन आधार पर अंशों में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समतुल्य राशि तक के विदेशी मुद्रा उधार को अनुमोदित किया है (बोर्ड द्वारा अलग से अनुमोदित रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक लेनदेन योजना के अंतर्गत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक उधार के अतिरिक्त).

3. कंपनी (विवरण-पत्र और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों का निजी तौर पर आबंटन करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन जरूरी है. परंतु, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष के दौरान सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में लिया जा सकता है. तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन 2 सितंबर 2014 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प द्वारा लिया गया था. तथापि, बोर्ड ने दिनांक 26 सितंबर 2014 को आयोजित अपनी बैठक में रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रुपया उधार सीमा को ₹ 4000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 15000 करोड़ अनुमोदित किया है. इस परिपत्र में बैंकों को अनुमति दी गई थी कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए

Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item of Special Business contained in the Postal Ballot Notice dated September 29, 2014

1. The Board, at its meeting held on April 30, 2014, had approved an ad-hoc limit of ₹ 4,000 crore for FY 2014-15 comprising of ₹ 2,000 crore of Senior Bonds/ Basel III compliant Tier II Bonds and ₹ 2,000 crore of Basel III compliant Additional Tier I Bonds by way of private placement/public issue in one or more tranches and authorized Chairman & Managing Director to make inter-se modification, if any, within the aggregate bond issuance limit of ₹ 4000 crore.

2. The Board at its meeting held on October 30, 2013 had approved Foreign Currency (FC) borrowing limit upto USD 7.5 billion equivalent on principal outstanding basis (in addition to borrowings under Inter-Bank Dealings Scheme of RBI, upto RBI stipulated limits from time to time, which has been separately approved by the Board) in tranches by way of bilateral loans / club loans / syndicated loans / lines of credit (including ECA backed lines) / other credit facilities from Banks or Financial Institutions (including direct borrowings from multilateral institutions through loans/bonds with partial / full guarantee of such institutions) / bonds issuances (senior bonds, lower Tier II bonds, hybrid instruments like upper Tier II bonds and Innovative Perpetual Debt Instruments and other Bonds eligible for classification as capital under Basel III) / FRN issuance/Reverse enquiries and other instruments.

3. In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require previous approval of the shareholders by Special Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year. Accordingly Shareholders' approval for the above purpose was taken by Special Resolution passed through Postal Ballot on September 2, 2014. However, the Board has, at its meeting held on September 26, 2014 approved the enhancement in Rupee Borrowing limit from ₹ 4000 crore for FY 2014-15 to ₹ 15000 crore, in terms of RBI's circular permitting the Banks to issue long term Bonds

दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने और खरीदने में समर्थ आवास के लिए शेयरधारकों द्वारा पहले से अनुमोदित तरीकों से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड को शामिल करते हुए एक या अधिक भागों में उधार लिया जा सकता है. उपर्युक्त को देखते हुए 2 सितंबर 2014 को डाक मतपत्र के माध्यम से पूर्व में पारित विशेष संकल्प के आंशिक संशोधन हेतु एक नया विशेष संकल्प पारित किए जाने की जरूरत है, जिसमें दिनांक 2 सितंबर 2014 के विशेष संकल्प के अनुसार रूपया उधार सीमा ₹ 4000 करोड़ से ₹ 15000 करोड़ तक बढ़ाने और विदेशी मुद्रा संसाधन संग्रहण सीमा बनाए रखने को दर्शाया गया हो.

4. निर्गमों के मूल्य का निर्धारण प्रत्येक निर्गम को जारी करते समय ही किया जा सकता है. घरेलू या विदेशी बाज़ारों में निर्गम के मूल्य का निर्धारण बाज़ार की वर्तमान स्थिति और बैंक के लिए उधार की समग्र लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

5. तदनुसार, निदेशक मंडल ने इस संबंध में डाक मतपत्र सूचना में दिए गए अनुसार 2 सितंबर 2014 को डाक मतपत्र के माध्यम से पूर्व में पारित विशेष संकल्प में आंशिक संशोधन के लिए एक विशेष संकल्प पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा है, जिसमें दिनांक 2 सितंबर 2014 के विशेष संकल्प के अनुसार रुपया उधार सीमा ₹ 4000 करोड़ से ₹ 15000 करोड़ तक बढ़ाने और विदेशी मुद्रा संसाधन संग्रहण को बनाए रखने को दर्शाया गया है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयरधारिता/ बॉण्डधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपरोक्त संकल्प को पारित करने में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
दिनांक: 29 सितंबर 2014

for Infrastructure and for affordable housing, to be borrowed in one or more tranches comprising of Senior / Infrastructure Bonds by way of the modes already approved by Shareholders. In view of this, a fresh Special Resolution needs to be passed in partial modification of the earlier Special Resolution passed through Postal Ballot on September 02, 2014, reflecting the enhanced Rupee Borrowing limit from ₹ 4000 crore to ₹ 15000 crore and retaining the Foreign Currency Resources mobilization limit as per the Special Resolution dated September 02, 2014.

4. The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic or overseas markets would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

5. Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing the Special Resolution, in partial modification of the earlier Special Resolution passed through Postal Ballot on September 02, 2014, reflecting the enhanced Rupee Borrowing limit from ₹ 4000 crore to ₹ 15000 crore and retaining the Foreign Currency Resources mobilization limit as per the earlier Special Resolution dated September 02, 2014, as contained in the Postal ballot Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013 it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding / bondholding, if any, in IDBI Bank.

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

Registered Office :
IDBI Bank Limited,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai – 400 005.
Dated: September 29, 2014

www.sapprints.com

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66552779/3336, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट : www.idbi.com
Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005.
Phone-(022) 66552779/3336, Fax-(022) 22182352, e-mail : idbiequity@idbi.co.in, website : www.idbi.com

www.sapprints.com
10/14

डाक मतपत्र फॉर्म
POSTAL BALLOT FORM

क्र.सं. Sr. No.

1. एकल / प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता :
Name & Address of Sole / First Shareholder :

2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हैं, का/के नाम:
Name(s) of Joint Shareholder(s), if any :

3. पंजीकृत फोलियो सं. / डीपी आईडी सं.- ग्राहक आईडी सं. :
Registered Folio No./DP ID No.- Client ID No. :

4. धारित शेयरों की संख्या :
Number of Shares held :

मैं/हम, एतद्द्वारा बैंक के 29 सितंबर 2014 की डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित विशेष कारोबार हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जानेवाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिए गए उपयुक्त खाने में टिक (✓) चिन्ह लगाकर उक्त संकल्प से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, मेरे/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ / रही हूँ / रहे हैं :
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the special business stated in the Postal Ballot Notice dated September 29, 2014 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box herein below :

मद सं. Item No.	विवरण/Description	सदस्य द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Member	मैं/हम इस संकल्प से सहमत हूं/हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/ हम इस संकल्प से असहमत हूं/हैं (विरोध में) I/We dissent to the Resolution (Against)
1.	शेयरधारकों द्वारा 02 सितंबर 2014 के मतपत्र के जरिए पारित पूर्ववर्ती विशेष संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए बैंक के निदेशक मंडल को (i) निजी तौर पर आबंटन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, बासेल III अनुपालनयुक्त टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को शामिल करते हुए ₹ 15000 करोड़ की बढ़ी हुई रुपया उधार सीमा तक एक या अधिक भाग में संग्रहण और (ii) 2 सितंबर 2014 को पारित विशेष संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान या इस संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान, जो भी बाद में हो, बकाया के समतुल्य यूएसडी 7.5 बिलियन के विदेशी मुद्रा संसाधनों के निरंतर संग्रहण के लिए बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए. To accord consent of Members of the Bank to the Board of Directors, in partial modification of the earlier Special Resolution passed by the Shareholders through Postal Ballot on September 2, 2014, for (i) mobilization in one or more tranches upto the enhanced Rupee Borrowing Limit of ₹ 15000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue and (ii) continuing mobilization of Foreign Currency Resources upto USD 7.5 billion equivalent outstanding as per the Special Resolution passed on September 02, 2014, during the FY 2014-15 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later.			

स्थान :
Place :

दिनांक :
Date :

(सदस्य के हस्ताक्षर)
(Signature of Member)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN (E Voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी User ID	पासवर्ड / पिन Password / PIN

टिप्पणी : कृपया फॉर्म भरने से पूर्व इसके दूसरे पृष्ठ पर छपे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें.
संवीक्षक को डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख शनिवार, 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक है.

NOTE: Kindly read the instructions printed overleaf before filling the form.
Last date for receipt of Postal Ballot Forms by Scrutinizer is Saturday, November 29, 2014 upto 2 p.m.

अनुदेश
INSTRUCTIONS

1 डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्य इस डाक मतपत्र फॉर्म को भरें और हस्ताक्षर करें तथा स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें. डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा. यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा सदस्यों के खर्च पर कूरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे.
A Member desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the Members will also be accepted.

2 पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का नाम और डाक मतपत्र भेजने का पता अंकित है.
The self-addressed envelope bears the name of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Postal Ballot Form is to be sent.

3 डाक मतपत्र फॉर्म सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित सदस्य द्वारा (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और यदि वे अनुपस्थित हों तो अगले नामित सदस्य(स्यों) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. बिना हस्ताक्षर वाले डाक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
The Postal Ballot form should be completed and signed by the Members. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named Member and in his absence, by the next named Member(s). Unsigned Postal Ballot forms will be rejected.

4 जहां डाक मतपत्र फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हैं वहां डाक मतपत्र फॉर्म के साथ वोट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए. सदस्य इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. ऐसे मामले में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए.
Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.

5 विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 29 नवंबर 2014 को अपराह्न 2 बजे तक संवीक्षक के पास पहुंच जाने चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि सदस्य से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.
Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 2 p.m. on November 29, 2014. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.

6 यदि आवश्यक हो तो सदस्य डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं. तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म ऊपर मद सं. 5 में निर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए.
A Member may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Item No.5 above.

7 मताधिकार की गणना शुक्रवार 10 अक्तूबर 2014 को सदस्य के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तारीख के रूप में तय की गई है.
Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member as on Friday, October 10, 2014, which is the cut-off date fixed for this purpose.

8 सदस्यों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागज़ात न भेजें क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिए जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागज़ात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.
Members are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.

9 प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही डाक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधारकों की संख्या कितनी भी हो.
There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint shareholder (s).

10 सदस्य को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक की तरीके से देने की आवश्यकता है.
A Member need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

11 डाक मतपत्र फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.

12 अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.

13 डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा की तारीख विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख के रूप में ली जाएगी.
The date of declaration of the result of Postal Ballot will be taken to be the date of passing of the special resolution.

14 डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 5 दिसंबर 2014 को अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे एजेंसियों अर्थात कार्वी की वेबसाइट www.karisma.karvy.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman on December 05, 2014 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of agencies, viz. Karvy at www.karisma.karvy.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

15 डाक मतपत्र से मतदान के अधिकार का प्रयोग प्रॉक्सी द्वारा नहीं किया जा सकता है.
The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.

16 बैंक ने कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 की शर्तों के अनुसार अपने सभी सदस्यों को डाक द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के लिए ई-वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा भी प्रदान की है. ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया डाक द्वारा मतदान की सूचना की टिप्पणियों के रूप में दी गई है.
In terms of Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Bank has provided e-voting facility for all the Members of the Bank to enable them to cast their votes electronically. The detailed procedure regarding e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice.